1.
न्यायालयः– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, किशनगंज।

उपस्थितिः– सुरेश कुमार सिंह– द्वितीय,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम,
किशनगंज।

किशनगंज, दिनांक 18वीं जून, 2026

जमानत आवेदन संख्या– 189/2026

अन्तर्गत अर्राबाड़ी थाना कांड संख्या– 11/2026

मैनुल उर्फ मैनुल हक .... (अभियुक्त)

बनाम

बिहार सरकार (विपक्षी पक्ष)

बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ताः– श्री अब्दुल बसीर, अधिवक्ता।

राज्य के अधिवक्ताः– श्री सुरेन प्रसाद साहा, अपर लोक अभियोजक।

18.06.2026 अभियुक्त **मैनूल उर्फ मैनूल हक** की ओर से जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। अभियुक्त दिनांक 25.04.2026 से कारा अभिरक्षा मे निरूद्ध है। यह मामला अर्राबाड़ी थाना कांड संख्या 11/2026 अन्तर्गत भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), 238, 64(1), 3(5) के तहत दर्ज किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान लोक अभियोजन को प्राप्त कराई गयी है। जमानत आवेदन पर उभयपक्षो को सुना।

सूचक फजले रब्बी के द्वारा दिये गये लिखित आवेदन के अनुसार अभियोजन का संक्षिप्त केस यह है कि दिनांक 15.04.2026 को सनवरी बेगम अपने घर से बगल के मकई खेत से भुट्टा एवं लकड़ी लेने गई, उसके साथ उसकी जेठानी इशरत जहाँ तथा मृतिका सनवरी की बच्ची जिसकी उम्र 02 वर्ष थी वह भी गई थी। समय लगभग 5.30 बजे इशरत जहाँ मृतिका के बेटी को लेकर घर आ गई। दस बजे रात तक मृतिका सनवरी बेगम घर नहीं लौटी तो उसके परिजन एवं ग्रामीण खोजने निकले, किन्तु इन्हें कुछ पता नहीं चला। उसके दस मिनट बाद जब इनके गांव के शेरशावादी टोला निवासी मैनुल एवं उरफ समय करीब 10:00–10:30 बजे रात मे मृतिका के घर परिजन को बोला कि चलो एक बार और दुबारा सनवरी बेगम को खोजते है तब उन दोनो के साथ फजले रब्बी, जनसीर, मजीद मकई के खते के नाला के पास पहुँचे तो देखे कि मृतिका का मृत अवस्था मे लाश अर्द्धनग्न अवस्था मे पड़ा हुआ है जिसे देखकर ये लोग हल्ला करने लगे तब गांव के लोग वहां आने लगा जिसे देखकर मैनुल और रउफ घटना स्थल से फरार हो गया। उसके बाद सूचक द्वारा दिये गये आवेदन के आधार पर अर्राबाड़ी थाना कांड संख्या 11/2026 अन्तर्गत धारा 103(1), 238, 64(1), 3(5) दर्ज हुआ।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियुक्त दिनांक 25.04.2026 से कारा अभिरक्षा मे निरूद्ध है। अभियुक्त ने इससे पहले न तो किशनगंज स्थित सत्र न्यायालय मे और न ही पटना स्थित माननीय उच्च न्यायालय मे अग्रिम जमानत या नियमित जमानत के लिए कोई आवेदन दाखिल किया है। अभियुक्त का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त पूरी तरह निर्दोष है। अभियुक्त ने माननीय ए.सी.जे.एम द्वितीय, किशनगंज के न्यायालय मे नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया था जिसे दिनांक 08.05.2026 को खारिज कर दिया गया है। पुलिस जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि सूचक फजले रहमान खूद इस कथित घटना के शामिल है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है जो वर्तमान मे न्यायिक अभिरक्षा मे निरूद्ध है। कांड दैनिकी के अनुसार अभियुक्त

लगातार
18.06.2026

के खिलाफ कोई भी आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली है, बल्कि सूचक की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। अभियुक्त को न्यायिक हिरासत मे रखना उचित प्रतीत नहीं होता है। अभियुक्त जॉच परीक्षण मे सहयोग करने का वचन देता है और लगाई गई किसी भी शर्त का पालन करने को तैयार है। अभियुक्त कानून का पालने करने वाला नागरिक है और सामाज मे उसकी अच्छी प्रतिष्ठा है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने अभियुक्त को जमानत देने की प्रार्थना करते हैं।

विद्वान अपर लोक अभियोजक ने जमानत का विरोध किया और जमानत आवेदन को खारिज करने की प्रार्थना किया।

अभिलेख अवलोकन से यह विदित होता है कि अभियुक्त प्राथमिकी का नामित अभियुक्त है तथा उसके विरूद्ध मृतिका के साथ बलात्कार कर के उसकी हात्या करने का आरोप है। केस डायरी के अवलोकन से विदित होता है कि साक्षियो ने अपने बयान में घटना का समर्थन किया है। अभिलेख अवलोकन से यह भी विदित होता है कि मृतिका सनवरी बेगम का अन्त–परीक्षा रिपोर्ट मे चिकित्सक का मंतव्य the cause of death as due to Asphaxia and shock as a result of throatling. Above mentioned vaginal swab and undergarment preserved for further examination पाया गया है। प्रस्तुत वाद मे अभी अनुसंधान लम्बित है। अभियुक्त के विरूद्ध लगाया गया अभियोग गम्भीर प्रकृति का है। उपरोक्त तथ्यो को ध्यान मे रखते हुए अभियुक्त को जमानत की सुविधा दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः अभियुक्त **मैनूल उर्फ मैनूल हक** की तरफ से दाखिल जमानत आवेदन को **अस्वीकृत** किया जाता है।

ह0/–

(सुरेश कुमार सिंह–II)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम,
किशनगंज।
18.06.2026

Date of Judgement/Order	18.06.2026
Date of Reserving Judgement/Order	18.06.2026
Uploading Date	18.06.2026
Uploaded by	Deposition Writer

जमानत आवेदन संख्या– 189/2026

अन्तर्गत अर्राबाड़ी थाना कांड संख्या– 11/2026